भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1498

(दिनांक 02.08.2021 को उत्तर देने के लिए)

निजी सैटलाइट टीवी चैनलों के लिए अनुमति

1498. श्री नीरज डांगीः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान देश में अनुमति प्राप्त निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों की संख्या का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उन निजी टीवी चैनलों की संख्या और नाम क्या हैं, जहां, विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा छापे मारे गए हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान उन निजी टीवी चैनलों की संख्या और नाम क्या है जिनका लाइसेंस रद्द किया गया है; और

(घ) आज की तिथि के अनुसार टीवी चैनलों के खिलाफ लंबित मामलों की संख्या और ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूचना और प्रसारण; और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री

(श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क): आज अद्यतन स्थिति के अनुसार, 916 प्राइवेट सेटेलाइट टीवी चैनल हैं जिन्हें अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग दिशानिर्देश, 2011 के तहत सरकार द्वारा अनुमति प्रदान की गई है। विचाराधीन विभिन्न वर्षों में पात्र संगठनों से प्राप्त आवेदनों के आधार पर, दी गई अनुमति इस प्रकार है:

वर्ष	अनुमति दी गई चैनलों की संख्या
2016-17	60
2017-18	34

2018-19	56
2019-20	56
2020-21	22

(ख): राजस्व विभाग के तहत प्रवर्तन एजेंसियां धनाशोधन निवारण अधिनियम, 2002, विदेशी विनियम प्रबंधन अधिनियम, 1999 और भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 सहित उनके द्वारा शासित विभिन्न विधियों के उपबंधों के उल्लंघन के लिए तलाशी और जब्त करने की कार्रवाई करता है।

(ग): टीवी चैनल दिशानिर्देशों के तहत शर्तों को पूरा न करने सहित विभिन्न कारणों से परिचालन बंद कर देते हैं। विगत पांच वर्षों के दौरान, 204 टीवी चैनलों ने परिचालन बंद कर दिया है जिसका ब्यौरा ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल http://broadcastseva.gov.in पर उपलब्ध है।

(घ): सरकार केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के तहत निर्धारित कार्यक्रम संहिता के उल्लंघन के लिए प्राइवेट टीवी चैनलों के विरूद्ध चेतावनी, एडवाइजरी, प्रसारण बंद करने का आदेश जारी करके कार्रवाई करती है। वर्ष 2016-20, ऐसे 128 मामलों में कार्रवाई की गई है।

****